न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्ट्रेक, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 50/19/आवेदन 212आरटीए /

1. अमराराम पुत्र ईश्वर राम जाति जाट निवासी जोहड़ी का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर।

– प्रार्थी

<u>ब ना म</u>

1. कमलकिशोर पुत्र बन्शीधर
2. कमलादेवी पत्नि मदनलाल
3. कान्ता देवी पुत्री राधेश्याम
4. गोविन्दी देवी पत्नि राधेश्याम
5. चम्पा देवी पत्नि शिवभगवान

समस्त जाति स्वामी निवासीगण लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

6. झाबरमल कुड़ी पुत्र र0तनाराम जाति जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला सीकर
7. त्रिलोक सिह पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. नथमल पुत्र भंवरा जाति स्वामी निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. बलदेवाराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी क्यामसर तहसील डीडवाना जिला नागौर।
10. भवंरी देवी पत्नि कमलकिशोर जाति महाजन निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. मक्खनलाल पुत्र शिवभगवान जाति स्वामी निवासिनी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
12. मन्जू देवी पुत्री राधेश्याम स्वामी जाति स्वामी निवासिनी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
13. मनोहरी देवी पत्नि चैनाराम जाति जाट निवासिनी टोडास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
14. मूलचन्द पुत्र मांगीलाल कुम्हार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
15. राजकुमार पुत्र शिवभगवान जाति स्वामी निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
16. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
17. रामनिवास पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
18. रामनिवास पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
19. रामेश्वर लाल जाखड़ पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

दांतारामगढ जिला सीकर।

21. श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर जाति स्वामी निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
22. संजय कुमार पुत्र शिवभगवान जाति स्वामी निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
23. सन्तरा देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार रणवां जाति जाट निवासी भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
24. सुनिता देवी पत्नि रामनिवास रणवां जाति जाट निवासिनी भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
25. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
26. उप–पंजीयक, लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रतिवादी संख्या 9 की ओर सें तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिंनाक :– 21.10.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1614 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 1615 रकबा 1.09 है0, ख0नं0 1616 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 2191/1617 रकबा 0.82 है0 किता 4 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर वाके कस्बा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें सें 93/8330 हिस्से का वादी रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार है। उक्त भूमियों का पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारा किया हुआ है परन्तु प्रतिवादीगण विधिवत बंटवारा करवाने हेतु निवेदन करने पर बहाने बनाकर समय निकालते रहते है। वादकारण दिनांक 07.07.2019 को बाहमी बंटवारे के अनुसार विधिक बंटवारा करवाने सें इन्कार हो गये तथा ऐलानियां धमकियां देने लगे तथ्ज्ञा इसी रोज कुछ अजनबी व्यक्यिों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आये तथ्ज्ञा बिना विधिक बंटवारा करवाये ही बेचान, हस्तांतरण करने की धमकी देने लगे । यदि प्रतिवादीगण अपने इस कुउद्देश्य में असफल हो गये तो आवेदक के वैध खातेदारी हक, अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में असंभव है। आवेदक का मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के ही पक्ष में है आवेदक में वर्णित भूमियों का बिना बंटवारा करवाये ही अन्यत्र हस्तांतरण करने व मौका स्थिति तब्दील करने से आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर अंत में यह

सहायक ... (रेको)
दाँता... (सीकर)

Scanned by CamScanner

इस्तदुआ चाही गई कि अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे कि उक्त वर्णित भूमियों खसरा नम्बर 1614 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 1615 रकबा 1.09 है0, ख0नं0 1616 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 2191/1617 रकबा 0.82 है0 किता 4 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर वाके कस्बा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की नींव सींव तोड़ फोड़ करने खुर्द बुर्द करने पैड़ पौधे काटने बेचान हस्तांतरण आदि सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 9 की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। **चूंकि प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है, प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला सुदृढ है। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को तादौराने वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1614 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 1615 रकबा 1.09 है0, ख0नं0 1616 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 2191/1617 रकबा 0.82 है0 किता 4 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर वाके कस्बा लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व संबंधित मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner